रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 1997/पौष 12, 1918
No. 5] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 1997/PAUSA 12, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1997

आयकर

का. आ. 6(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 9 जुलाई, 1990 को प्रकाशित दिनांक 9 जुलाई, 1990 की अधिसूचना संख्या का. आ. 548(अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 13 में कालम 2, 3 और 4 में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

"13. मुख्य आयकर आयुक्त-II, दिल्ली, नई दिल्ली।	नई दिल्ली	(i) आयकर आयुक्त, दिल्ली-II, नई दिल्ली । (ii) आयकर आयुक्त, दिल्ली—IX, नई दिल्ली । (iii) आयकर आयुक्त, दिल्ली—X, नई दिल्ली । (iv) आयकर आयुक्त, दिल्ली—XI, नई दिल्ली ।

[अधिसूचना संख्या 10253/फा. सं. 189/22/95—आयकर नि-1]

एच. के. चौधरी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st January, 1997
(INCOME-TAX)

S. O. 6 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment in the notification S. O. No. 548(E), dated 9th July, 1990 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 9th July, 1990; namely :—

In the scheduled to the said notification in Sl. No. 13, for the existing entries in columns 2, 3, and 4 the following entries shall be substituted, namely :—

"13.	Chief Commissioner, of Income-tax-II, Delhi, New Delhi.	New Delhi	(i) Commissioner of Income-tax, Delhi-II, New Delhi. (ii) Commissioner of Income-tax, Delhi-IX, New Delhi. (iii) Commissiner of Income-tax, Delhi-X, New Delhi. (iv) Commissioner of Income-tax, Delhi-XI, New Delhi.

[Notification No. 10253/F. No. 189/22/95-ITA. I]
H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

अधिसूचना
नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1997
आयकर

का. आ. 7(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 9 जुलाई, 1990 को प्रकाशित दिनांक 9 जुलाई, 1990 की अधिसूचना संख्या का. आ. 548(अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

अनुसूची (क) में क्रम संख्या 12 में कालम 2, 3 और 4 में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

"मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली, नई दिल्ली।		नई दिल्ली	(i) आयकर आयुक्त, दिल्ली-I, नई दिल्ली । (ii) आयकर आयुक्त, दिल्ली—IV, नई दिल्ली । (iii) आयकर आयुक्त, दिल्ली—VI, नई दिल्ली । (iv) आयकर आयुक्त, दिल्ली—VIII, नई दिल्ली । (v) आयकर आयुक्त, दिल्ली—XI, नई दिल्ली ।

(ख) क्रम संख्या 13 में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

"मुख्य आयकर आयुक्त-II, दिल्ली, नई दिल्ली।	नई दिल्ली	(i) आयकर आयुक्त, दिल्ली-II, नई दिल्ली । (ii) आयकर आयुक्त, दिल्ली—IX, नई दिल्ली । (iii) आयकर आयुक्त, दिल्ली—X, नई दिल्ली ।

[अधिसूचना संख्या 10254/फा. सं. 189/22/95—आयकर नि-1]
एच. के. चौधरी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 1997

(INCOME-TAX)

S. O. 7(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment in the notification S. O. No. 548(E), dated 9th July, 1990 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 9th July, 1990; namely :—

In the scheduled—(a) Sl. No. 12, for the existing entries in column 2, 3, and 4 the following entries shall be substituted, namely :—

"Chief Commissioner of Income-tax-II, Delhi, New Delhi.	New Delhi	(i) Commissioner of Income-tax, Delhi-I, New Delhi. (ii) Commissioner of Income-tax, Delhi-IV, New Delhi. (iii) Commissioner of Income-tax, Delhi-VI, New Delhi. (iv) Commissioner of Income-tax, Delhi-VIII, New Delhi. (v) Commissioner of Income-tax, Delhi-XI, New Delhi.

(b) In Sl. No. 13, for the existing entries the following entries shall be substituted, namely :—

"Chief Commissioner of Income-tax-II, Delhi, New Delhi.	New Delhi	(i) Commissioner of Income-tax, Delhi-II, New Delhi. (ii) Commissioner of Income-tax, Delhi-IX, New Delhi. (iii) Commissioner of Income-tax, Delhi-X, New Delhi.

[Notification No. 10254/F. No. 189/22/95-ITA. I]
H. K. CHOUDHARY, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997